न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 191/2017

-:: वादीगण ::-	बनाम	-:: प्रतिवादी ::-
1. रामेश्वर पुत्र सतुराम 2. कालुराम पुत्र सतुराम जातियान- खटीक, निवासीगण जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. पूनाराम पुत्र बालूराम 2. बाबुलाल पुत्र बालुराम 3. सीताराम पुत्र धूलाराम जातियान- रेगर, निवासीगण- रेगरों का बास जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) 4. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः.06/10/2017

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 17/01/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 10 रकबा 09-12 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 9 रकबा 08-10 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें से खसरा नम्बर 9 रकबा 08-10 बीघा में वादी रामेश्वरलाल का 1/4 वां हक हिस्सा व अधिकार है तथा शेष 3/4 वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 10 रकबा 09-12 बीघा में वादी रामेश्वरलाल का 1/4 वां हिस्सा तथा वादीगण कालूराम का 1/2 वां हिस्सा है तथा शेष 1/4 वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का है। इसी माफिक वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेश इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से जाना जायेगा। वादीगण की उक्त खातेदारी जमीन जैतारण रामावास रोड़ के पास आई हुई है। तथा उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी सहमति से मौके पर अलग अलग बंटी हुई है तथा माफिक बंटवाड़ा के अनुसार ही अलग अलग मौके पर माठे कायम की हुई है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि संयुक्त व शामलाति है। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कोई बंटवाड़ा को लेकर आये दिन वादीगण से विवाद कर रहे है। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से अपना साख पत्र आदि भी बनवाना चाह रहा है एवं इस भूमि पर काली मिट्टी खाद डालकर इस भूमि को काश्त के लिए और अधिक उपयोगी बनाना चाह रहे है लेकिन भूमि शामलाति दर्ज होने की वजह से वादीगण ऐसा नहीं कर पा रहे है। वादीगण ने अपने हक हिस्से की आराजी का बंटवाड़ा कराने के लिए कई बार निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादीगण आराजी का बंटवाड़ा कराने में टालमटोल कर रहे है। दिनांक 04/10/2010 को प्रतिवादी बाबुलाल ने आराजी का बंटवाड़ा करवाने से अपनी सहमति देने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। जबकि वादीगण ने अपने हक हिस्से की आराजी का बंटवाड़ा कराने का वैधानिक रुप से उत्तराधिकारी हैं। इसलिये यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 04 भूमिधारी राजस्थान सरकार के

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिनिधी है, जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार है। जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवयश्क होता है परन्तु वादपत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है। इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अनुमति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से सादर पेश है। विनाय वाद दिनांक 04/10/2017 को प्रतिवादी बाबूलाल द्वारा विवादित आराजी का बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। जिस पर मुकाम जैतारण तहसील जैतारण में पैदा हुआ है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली / सूचना के अनुपरिथत रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उपस्थित वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड मेरे हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, प्रदर्श लगाया जाकर सा0मि0 किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 8-10 बीघा, खसरा नम्बर 10 रकबा 9-12 बीघा भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/757 दिनांक 01/08/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/418 दिनांक 14/01/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 8–10 बीघा, खसरा नम्बर 10 रकबा 9–12 बीघा भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	कालुराम पुत्र सतुराम कौम खटीक सा.देह खातेदार।	10	4-11-00	बा.दो.	
2	रामेश्वर पुत्र सतुराम कौम खटीक सा.देह खातेदार।	10/1 9	2-05-00 2-02-00	बा.दो. बा.दो.	
3	पूनाराम बाबुलाल पिता बालूराम कौम रेगर सा.देह खातेदार।	10/2	2-05-00	बा.दो.	
4	रामेश्वर पुत्र सतुराम 1/4, कालुराम पुत्र सतुराम 1/2 कौम खटीक पूनाराम बाबूलाल पिता बालूराम 1/4 कौम रेगर सा.देह खातेदार।	10/3	0-11-00	बा.दो.	
5	पूनाराम बाबूलाल पिता बालूराम 1/3, सीताराम पुत्र धुलाराम 2/3 कौम रेगर सा.देह खातेदार।	9/2	6-04-00	बा.दो.	
6	रामेश्वर पुत्र सतुराम कौम खटीक 1/4 पूनाराम बाबुलाल पिता बालूराम 1/4, सीताराम पुत्र धूलाराम 1/2 कौम रेगर सा.देह खातेदार।	9/1	0-04-00	बा.दो.	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 17/01/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner